

आ. पत्रावली दिनांक... 29.10.15...
को पेश हो।

रीडर

सहायक कलक्टर

15.10.15 वकील वकील मारुप पेश करने हेतु
अवसर चाहते हैं पत्रावली दिनांक
29.10.15 को पेश हो।

29.10.15 समय पर उपस्थित फीडासीन अधिकारी
सकल कार्य से बाहर है / अवकाश पर
है / पर रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक... 24.11.15...
को पेश हो।

रीडर

सहायक कलक्टर माण्डल

24.11.15 वकील वादी उपस्थित / साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं
पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 26.11.2015 को पेश हो।

26.11.15 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी उपस्थित / शंकर लाल पंडित
की साक्ष्य की गई 02, 03, 04, 05, 06, 07
प्रदक्षिण दिशे गए। पत्रावली वास्ते फिर हेतु दिनांक
8.12.15 को पेश हो।

8.12.15 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी उपस्थित / फिर नहीं करना
चाहते हैं वकील वादी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज
पेश किए गए। वास्ते वहल पत्रावली दिनांक 15.12.15
को पेश हो।

15.12.15 पत्रावली पेश हुई, वकील वादी की वहल सुनी गई,
वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28.12.15 को पेश हो।

28.12.15 पत्रावली पेश हुई, वादीगणों की रामेश्वर पिला मांगु
दाल वगैरहा आते बेरागी ने वाद अन्तर्गत धारा
88, 89, 188 पेश कर अनुलोचन चाहा है कि उनके प्रत्येक

सहायक कलक्टर ए. रमपदास पिला
उपस्थित अधिकारी, माण्डल

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

देवपुरा लहसीला मांडल में रजस्तरा नम्बर 219 रकबा
1 बीघा 15 बिस्वा, 220 रकबा 03 बिस्वा, 221 रकबा 2 बीघा
13 बिस्वा कुल किला-3 रकबा 411)9 बीघा भूमि दर्ज
रेकार्ड है, श्री रज्जुदास भी एवं इसके बाद उनके पुत्र अरदास
व लक्ष्मण उन्के पिता मांगुदास की मृत्यु हो चुकी है,
मगर रेकार्ड में अभी भी उनके पूर्वज रज्जुदास के नाम
दर्ज रेकार्ड है, उन्के पुत्रनगल भूमि पर वादीगण का
कब्जा है अतः उन्हें इस भूमि का खालीदार काइलकार
घोषित किया जावे।

युक्त दर्ज कर एलिषादी लहसीलादार मांडल
की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अनुसार उन्के भूमि
पर रामेश्वर, गौपाल, रत्न, शंकर पिता मांगीदास एवं
छोटी पाली मांगीदास केरागी साठ खेसा-देवपुरा का
कब्जा काइल, अलाया गया। वादी उन्के पत्नी द्वारा
वादी श्री शंकर पिता मांगुदास केरागी का शपथ पर
पेश किया गया, जिसमें रज्जुदास उन्के पूर्वज होने
शपथ पूर्वक तस्वीक किया गया।

मानावे में वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण
पत्रों, प्रस्तुत शपथ-पत्र एवं लहसीलादार मांडल की
रिपोर्ट का उन्वलोकन किया गया। जिससे पूर्वज
रज्जुदास, लक्ष्मण, अरदास एवं बाद में वादीगण
के पिता मांगुदास की मृत्यु हो जाना एवं पुत्रनगल
भूमि पर वादीगण का कब्जा काइल होना सिद्ध
है। अतः बाद वादी स्वीकार किया जाकर, वादीगण
को पुत्रनगल उन्कराजियात् 219, 220, 221, कुल किला
उ रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम खेसा-देवपुरा लहसीला
मांडल का खालीदार काइलकार घोषित किया जाता
है। राजस्व रेकार्ड में तदनुसार अंकन किया जावे।
पत्रावली के लल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

न्यायालय
अदालत
द्वारा जारी

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री देवी सिंह (आ००१०एस०)

अनवान प्रकरण

श्री रामेश्वर ११० मांगुदास वीरगो निवासी खेरादेवपुरा
 " श्रीपाळ ११० मांगुदास - " -
 " रत्न ११० मांगुदास - " -
 " शंकर ११० मांगुदास - " -
 श्रीमते श्रीमते ११० मांगुदास - " - वादी


बनाम

श्री राजस्थान राज्य जरीचे तहसीलदार माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 88 RTA मुकदमा नं०/वर्ष 48/2013 निर्णय दिनांक 28-12-15
 यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
 मिनजानिव मुददई व अब्दुलरसीद वटान मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म
 दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि वाद वादी हकीकार किया आकर,
वादिगाण की प्रश्नगत आराजियात 219, 220, 221, कुल किला
3 रकबा 4 बीघा 11 बिघा ग्राम खेरा देवपुरा तहसील माण्डल
का रकालदार कारलकार घोषित किया जाता है। राजस्था
रीकडे मे तदनुसार अंकन किया जावे।

आज तारीख 28-12-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।


 सहस्यक पदासिद्ध एवं
 उपखण्ड अधिकारी, माण्डल